कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 4209/12-1 , दिनांक, कोटद्वार, 04/06/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0,नजीबाबाद जिला बिजनौर ।

विषयः- Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- kotdwar to kotdwar-Pauri road in the state of Uttarpradesh and Uttarakhand under bharat mala Pariyojana Lot-4/pakage-2. **(FP/UK/ROAD/157584/2022)**

संदर्भः- **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या- 8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांकः-05.05.2025.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि जनपद-पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत भारत माला परियोजना ल०-4 पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी मार्ग से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन के निर्माण कार्य हेतु 1.1 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद जिला बिजनोर को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांकः-05.05.2025 दिनांकः-17.02.2025 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैः-

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख-रखाव हेतु **वित्तीय वर्ष 2025-26** के अनुसार निर्धारित दर रूपये **543037.00/प्रति हे0 की दर से** आवश्यक धनराशि का विवरणः-

आवेदित भूमि का क्षेत्रफलः-1.1 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का क्षेत्रफलः-1.1 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0ः-543037.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशिः- 1.1X543037=5,97,340.70 (रूपये पांच लाख, सतानब्बे हजार, तीन सौ चालीस) मात्र

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 119.908 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये भारत सरकार की पत्र संख्या 5. 3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का विवरणः-

ईको क्लासः-III
हरियाली का घनत्वः-0.5
एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0ः-रू0 12,28,590.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफलः-1.1
एन0पी0वी0 की धनराशिः-(1228590.00/हे0)1228590X1.1=13,51,449.00(रूपये तेरह लाख, ईकावन हजार, चार सौ उनपचास) मात्र

(3). उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अनुमोदित 2% Wildlife Conservation cum Mitigaogation Plan की धनराशि रू0 1,05,00,000.00 (रूपये एक करोड, पांच लाख) मात्र।

(4). उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अनुमोदित 0.5% Soil and Moisture Conservation Plan की धनराशि रू0-25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख,) मात्र।

अतः उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के प्रत्येक बिन्दु पर सम्बन्धित अनुपालन आख्या मय सत्यापित पृथक-पृथक प्रमाण पत्र/ वचनबद्वता प्रमाण पत्रों सहित परिवेश पोर्टल पर भी यथास्थान ऑनलाईन अपलोड कर ऑफलाईन (तीन प्रतियों में) प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के पूर्ण अनुपालन से पूर्व कोई भी निर्माण कार्य आरम्भ न किया जायें।

भवदीय,
Akash
(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- 4209/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Akash
(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

O/C